

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारा

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No: 07453-230410, Fax No: 07453-230244

दिनांक 15/10/2020

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2020-21/ 5459

निमित्त:- संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय:- Construction of B.T Road from Mamli Laxmipura to patpadi 1.14ha
FPARJROAD 7127/2014 of Forest land for upgradation Road in Baran
Forest Division.

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय
कार्यालय (मध्य) के पत्र क्रमांक 898 दिनांक 14.09.2020
प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज.जयपुर के पत्र क्रमांक 2770
-71 दिनांक 29.09.2020 के क्रम में।

महोदय,
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण में प्रधान मुख्य
वन संरक्षक राज.जयपुर के पत्र क्रमांक 2770-71 दिनांक 29.09.2020 से बाही
गइ सूचना निम्नानुसार प्रेषित है।

| S.N | EDS | Date | REPLY |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | State Gverment should submit valid reasons and exceptional circumstances apt to justify delay and condonation of violation. | 14-09-2020 | यूजर एजेंसी द्वारा कार्य के स्कोप में तीन किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना था सड़क चैनल 0/810 से 1/950 तक वन क्षेत्र में होने के कारण दिनांक 13.09.2014 को 1.14 हे० वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित किये गये थे। सड़क के वन भूमि वाले भाग को छोड़कर शेष कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर लिया गया था। मामली से लक्ष्मीपूरा पटपडी का एक मात्र मार्ग होने के कारण बारिश के मोसम में ग्रामवासियों का संपर्क व आवागमन का मार्ग अवरुद्ध हो गया था जिससे इमरजेन्सी सेंवाओ तथा एम्बुलेन्स सेवा प्रसूताओं हेतु इलाज इत्यादि के लिये मार्ग अवरुद्ध था अतः ग्राम वासीयों की सुविधाओं ओर जनहित को ध्यान में रख कर वन क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ कर उक्त मार्ग का निर्माण दिनांक 12.12.2015 को पूर्ण करा दिया गया था इस प्रकार उक्त कार्य में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 3B के अर्न्तगत उल्लंघन हुआ है। अतः ग्रामवासीयो की सुविधाओं ओर जनहित को ध्यान में रख कर वन क्षेत्र में कार्य किया गया है। |
| 2. | The Penalty for violation shall be calculated as per the | | बिन्दु संख्या 2 के तहत violation Penalty की गणना उक्त प्रकरण के |

guideline date 29-01-2018
and report submitted to this
office.

प्रत्यावर्तन में (आर.ई.सी) के अनुसार
लगाई गई शर्त में पेनल प्रोविजनल
(दण्डात्मक) प्रावधान (MOEF And CC)
लखनऊ के सरकुलर दिनांक 29 जनवरी
2018 के अनुसार इस कार्यालय का
(संलग्न) पत्र क्रमांक 9432 दिनांक 15.
10.2020 द्वारा दण्डात्मक राशि
3710928/-होगी। यदि प्रस्ताव मामली
लक्ष्मीपुरा से पटपडी रोड जन उपयोगी
प्रस्ताव है तो गणना का 20% अधिरोपी
शास्ती 742185/-देय होगा।

भवदीय

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक 0 एफ () / एफ.सी.ए. / उ.व.स. / 2020-21 /

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) राजस्थान जयपुर।
2. अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.खण्ड शाहबाद।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक,
बारां

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453-230410, Fax No. 07453-230244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2020-21/9432

दिनांक 15-10-2020

निमित्त:- अधिशाषी अभियन्ता

सा.नि.वि.खण्ड शाहबाद।

विषय:- Construction of B.T Road from Mamli Laxmipura to patpadi 1.14ha
FP\RJ\ROAD 7127\2014 of Forest land for upgradation Road In Baran
Forest Division.

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय
कार्यालय (मध्य) के पत्र क्रमांक 898 दिनांक 14.09.2020 प्रधान
मुख्य वन संरक्षक राज.जयपुर के पत्र क्रमांक 2770-71 दिनांक
29.09.2020 एव के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि Mamli Laxmipura to patpadi 1.14ha
उक्त प्रकरण के प्रत्यावर्तन में (आर.ई.सी) के अनुसार लगाई गई शर्त में पेनल
प्रोविजनल (दण्डात्मक) प्रावधान(MOEF And CC) लखनऊ के सरकुलर दिनांक 29 जनवरी
2018 के अनुसार निम्नानुसार है।

1. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन पर आरोपित शास्ती

a- उल्लंघन की दिनांक अगस्त 15

b- कुल प्रभावित क्षेत्रफल 1.14 ha

c- NPV की राशि 626000 प्रति है०

d- शास्ती की गणना अगस्त 15 से नवम्बर 2020 तक
 $1.14 \times 5 \times 6,26,000 = 3568200/-$

e अगस्त 15 से 30 नवम्बर 2020 तक

तक 12% सामान्य ब्याज $= 3568200 \times \frac{12}{100} \times \frac{4}{12} = 142728/-$

f- कुल शास्ती (b + e) $= 3568200 + 142728 = 3710928/-$

2. यदि प्रस्ताव मामलीलक्ष्मीपुरा से पटपडी रोड जन उपयोगी प्रस्ताव है तो गणना का 20%
शास्ती के रूप में देय होगा। और शास्ती $3710928 \times \frac{20}{100} = \text{say } 742185/-$ होगी।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक,
बारां
दिनांक

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2020-21/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक,
बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

दिनांक : 01-10-2020

क्रमांक : 879

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
बारां।


विषय :- Diversion of 1.14 ha. Of forest land in favour of PWD for construction of BT road from Mamli Lamipura to Patpadi inder RRSMP scheme in Rajasthan.

प्रसंग :- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रिय कार्यालय (मध्य)
लखनऊ का पत्र क्रमांक 8B/RJ/06/24/2015/FC/S98 दिनांक 14.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उपरोक्त प्रासंगिक पत्र में दर्शाये गये बिन्दुओं की अनुपालना निम्न प्रकार है :-

| बिन्दु संख्या | विवरण | प्रतिउत्तर |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | State Government should submit valid reason and exceptional circumstances apt to justify delay and condonation of violation. | कार्य के स्कॉप में तीन किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना था। सड़क चैनेज 0/810 से 1/950 तक वन क्षेत्र में होने के कारण दिनांक 13.09.2014 को 1.14 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव ऑन लाइन प्रेषित किये गये थे। सड़क के वन भूमि वाले भाग को छोड़कर शेष कार्य निर्धारित समयवधि में पूर्ण कर लिया गया था। मामली से लक्ष्मीपुरा ऊर्फ पटपडी का एक मात्र मार्ग होने के कारण बारिश के मौसम में ग्रामवासियों का संपर्क व आवागमन का मार्ग अवरुद्ध हो गया था जिससे इनरजेन्सी सेवाओं यथा एम्बुलेन्स सेवा, प्रसूताओं हेतु इलाज इत्यादि के लिये मार्ग अवरुद्ध था। अतः ग्रामवासियों की सुविधाओं ओर जनहित को ध्यान में रखकर वन क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ कर उक्त मार्ग का निर्माण दिनांक 12.12.2015 को पूर्ण करा दिया गया था। इस प्रकार उक्त कार्य में वन संरक्षण के अधिनियम 1980 की धारा 3B के अन्तर्गत उल्लंघन हुआ है। अतः ग्रामवासियों की सुविधाओं और जनहित को ध्यान में रख कर वन क्षेत्र में कार्य किया गया है। जिसके लिए विभाग क्षमा प्रार्थी है। |
| 2 | The penalty for violation shall be calculated as per the guidelines dated 29.01.2018 and report submitted to this office. | बिन्दु संख्या 2 के तहत Violation की Penalty की गणना निम्नानुसार है :- एन.पी.वी. राशि = 1.14 x 626000/- = 713640 /- एन.पी.वी. राशि का पांच गुना = 3568200 /- Penalty @ of 20% (for Public utility projects of the Government = 3568200x20% = 713640/- |


(बसन्त कुमार गुप्ता)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद
बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद